# कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–स शि / SIQE / 60828 / कलस्टर कार्यशाला / 2018/24 दिनांक : 16-01-2018

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा

2. समस्त प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट),

विषयः– शैक्षिक सत्र 2017–18 में एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत कलस्टर स्तरीय कार्यशाला के प्रबोधन के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्र क्रमांक उनि / सशि / SIQE / बैठक / 2016–17 / 132 दिनांक 12 / 07 / 2017 शिविरा–सशि SIQE / 2017–18 / 33 दिनांक 05 / 09 / 2017

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एसआईक्यूई कार्यक्रम के तहत प्राथमिक कक्षाओं को अध्यापन करवाने वाले शिक्षकों के लिए कलस्टर कार्यशाला के आयोजन के संबंध में प्रासंगिक पत्र दिनांक 12.07.2017 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। इसके उपरान्त प्रासंगिक पत्र दिनांक 05.09.2017 द्वारा इन कार्यशालाओं के आयोजन के लिए समय पर निर्देश जारी करने तथा इनके उचित प्रबोधन हेतु जिला स्तर पर योजना बनाकर तदनुरूप समस्त जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा इन कलस्टर स्तरीय कार्यशालाओं का प्रबोधन कर, संदर्भित पत्र में दिए गए लिंक पर जाकर ऑन लाईन फॉर्मेट की पूर्ति करने के निर्देश जारी किये गए थे। विगत कार्यशालाओं के ऑनलाईन फार्मेट की पूर्ति देख कर यह ध्यान में आया है कि जिला स्तर पर इन कार्यशालाओं के प्रबोधन की योजना नहीं बनायी जा रही है, न ही योजनाबद्ध तरीके से इनका अवलोकन किया जा रहा है। यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 18 या 19 जनवरी (प्रथम समूह) तथा दिनांक 29 या 30 जनवरी (द्वितीय समूह) आयोज्य कार्यशालाओं के अवलोकन हेतु जिशिअ माध्यमिक, जिशिअ प्रारंभिक एवं प्रधानाचार्य डाइट मिलकर एक व्यापक योजना का निर्माण इस प्रकार करें जिससे जिले के समस्त कलस्टरों पर कोई ना कोई अधिकारी इन कार्यशालाओं का अवलोकन आवश्यक रूप से करें। अवलोकन करने वाले अधिकारी / डाईट फैकल्टी किए गए अवलोकन की सूचना इस लिंक **https;/tinyurl.com/ydeg8uak** पर आवश्यक रूप से दर्ज करें। इस लिंक के माध्यम से निदेशालय स्तर पर प्रबोधन किया जाएगा। **ध्यान रहे कि ऑनलाईन फार्मेट की पूर्ति किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।**

यह भी निर्देशित किया जाता है कि इन कार्यशालाओं में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों तथा उन्हें कार्यमुक्त नहीं करने वाले संस्था प्रधानों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाया जाए।

द्वितीय समूह की कार्यशाला की समाप्ति के पश्चात निम्नांकित फार्मेट में जिला स्तर पर आयोज्य समस्त कार्यशालाओं की संख्यात्मक सूचना दिनांक 05.02.2017 तक इस कार्यालय के ई–मेल आई.डी **socialedu.gov@gmail.com** आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

| क्र.स. | जिला | जिले में कुल कलस्टर रिसोर्स स्कूलों की संख्या | ऐसे कलस्टर रिसोर्स स्कूलों की संख्या जिनमे कार्यशाला आयोजित नहीं हुई | | कार्यशाला में आमंत्रित शिक्षक | | कार्यशाला में उपस्थित शिक्षक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18 / 19 जनवरी | 29 / 30 जनवरी | 18 / 19 जनवरी | 29 / 30 जनवरी | 18 / 19 जनवरी | 29 / 30 जनवरी |
| | | | | | | | | |

16/1/18
उपनिदेशक
समाज शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।
2. निजी सहायक, आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, निदेशक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर।
5. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि आप स्वयं तथा आपके कार्यालय के अधीनस्थ अधिकारी इन कार्यशालाओं का अवलोकन आवश्यक रूप से करें उपर्युक्त लिंक पर जाकर फार्मेट की पूर्ति करे तथा अधीनस्थ जिलों से भी उक्त की पालना सुनिश्चित करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

नोडल अधिकारी (एसआईक्यूई)

www.rajteachers.com